भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति के निमित्त आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों के अभ्यर्थियों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

		के अभ्यर्थियों द्वाः	<u>। दिए जाने वाला प</u>	<u>म्माण-पत्र का प्रा</u>	<u>पत्र</u>	
यह प्रमाणित	किया ज	ाता है कि	श्री/ श्रीमती/ कुमा	री		सुपुत्र/ सुपुत्री
প্री	•••••	, राज्य/ सं	घ राज्यक्षेत्र		जिला/ मंडल	ग्राम/ शहर
	के निवासी	हैं जो	समुट	तय के हैं जिसे	भारत सरकार,	सामाजिक न्याय एवं
सशक्तीकरण मंत्राल	य के दिनांक		के संकल्प संख्या	r		के अंतर्गत पिछड़े
वर्ग के रूप में	मान्यता प्रार	न है* । श्री∕श्रीब	ाती/ कुमारी		. तथा उनका	परिवार सामान्यतया
	राज्य/ संध	व राज्य क्षेत्र के		. जिला/ मंडल व	के निवासी हैं। व	यह भी प्रमाणित किया
जाता है कि वे भा	रत सरकार, का	र्मिक और प्रशिक्षण	विभाग के दिनांक	8.9.1993** के	न कार्यालय ज्ञापन	र सं. 36012/22/93-
स्था(एससीटी) की	अनुसूची के कार	गम 3 में उल्लिखि त	व्यक्तियों/ वर्गों (न	वोन्नत वर्ग) की	श्रेणी से संबंधित	नहीं हैं।**
						जिलाधिकारी
						उपायुक्त इत्यादि
दिनांक			मोहर			3 .
* प्रमाण-पत्र ज	री करने वाले	प्राधिकारी को	भारत सरकार के	संकल्प के ब	ब्योरों का उल्ले	ख करना है जिसमें
उम्मीदवार की ज	ाति का अन्य	पिछड़ा वर्ग के रू	प में उल्लेख किय	ा गया है।		·
**समय-समय प		•		·· · · · · ·		
			होगा जो जनप्रतिनि	r®—= 21®1—11	1050 D. errn	· 20 + 4·
ाटण्यणाः यहा प्रयुक्त	राष्ट्र सामान्य	तथा का जय वहा	भागा जा जनप्रातान	।।यत्य जायाणय	म, १९७७ ।क धारा	20 न हा
						<u>Annexure</u>
_	FORM OF CE	RTIFICATE TO E	E PRODUCED B	Y OTHER BAC	KWARD CLAS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
<u>AP</u>	PLYING FOR	<u>APPOINTMENT</u>	TO POSTS UND	ER THE GOVE	ERNMENT OF	<u>INDIA</u>
					-1 .	
						of n the State/Union
						ch is recognized as a
						ent's Resolution No.
and/or his/her f						·
						ions (Creamy Layer)
mentioned in Co	lumn 3 of the	Schedule to the (Government of Inc	dia, Departmei	nt of Personnel	& Training O.M. No.
36012/22/93-Est	t. (SCT) dated	8.9.1993**.				
						District Magistrate
					Deputy	Commissioner, etc.
Dated:		Sea	al			
*The authority is	ssuing the cer	tificate may have	to mention the	details of Res	colution of Gove	ernment of India. in

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

^{*}The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is mentioned as OBC.

^{**}As amended from time to time.